संख्या–950 / तीस–3–10–16बी / 2010

G-118A/10

प्रेषक,

कुलदीप एन0 अवस्थी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2–अध्यक्ष,
राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण,
लखनऊ।

परिवहन अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 15 अप्रैल, 2010

विषयः–वित्तीय वर्ष 2010–11 की आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951 / दस–2010–231 / 10 दिनांक 26–3–09 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–43 के **लेखा शीर्षक 2041**–वाहन कर–800–अन्य व्यय–03–स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 4779000 / – **लेखा शीर्षक–3055**–सड़क परिवहन–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–अधिष्ठान व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 6558,36,000 एवं साथ ही **मद संख्या–190**–सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपकरणों की सहायता–03–राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में संसद सदस्यों की निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए निगम को प्रतिकर का भुगतान–42–अन्य व्यय में धनराशि रू0 175000 / –तथा **लेखा शीर्षक–3055**–सडक परिवहन–800–अन्य व्यय–03 अवशेषो का भुगतान–01–वेतन में प्रावधानित धनराशि रूपया–99677000 / – को आवंटित करते हुए, जिसका लेखाशीर्षकवार विवरण निम्नवत है, कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक / मानक मद संख्या तथा नाम	स्वीकृत प्रविधान
लेखाशीर्षक–2041–वाहन कर–800–अन्य व्यय–03– स्टेट ट्रांसपोर्ट अधिष्ठान	
01–वेतन	2800
02–मजदूरी	30
03–महगाई भत्ता	924
04–यात्रा व्यय	30
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50
06–अन्य भत्ते	500
07–मानदेय	05

08–कार्यालय व्यय	65
09–विद्युत देय	40
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	25
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	30
13–टेलीफोन पर व्यय	35
17–किराया ,उपशुल्क और कर– स्वामित्व	125
42–अन्य व्यय	30
45–अवकाश यात्रा व्यय	30
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	25
49–चिकित्सा व्यय	30
51–वर्दी व्यय	05
योग :	4779

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक / मानक मद संख्या तथा नाम	स्वीकृत प्रविधान
लेखाशीर्षक–3055–सड़क परिवहन–001–निदेशन तथा प्रशासन– 03–अधिष्ठान व्यय	
01–वेतन	400000
02–मजदूरी	100
03–महंगाई भत्ता	132000
04–यात्रा व्यय	1375
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	700
06–अन्य भत्ते	36000
07–मानदेय	50
08–कार्यालय व्यय	5000
09–विद्युत देय	5000
10–जलकर एवं जल प्रभार	6591
11–लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	15000
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3000
13–टेलीफोन पर व्यय	900
14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफकारों / मोटरगाड़ियों का क्रय	9000
15–मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	9000
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	500
17–किराया, उप शुल्क और कर स्वामित्व	12000
18–प्रकाशन	1000
23–गुप्त सेवा व्यय	20
26–मशीने और सज्जा / उपकरण संयत्र	100
29–अनुरक्षण	1500
42–अन्य व्यय	150
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	4000
45–अवकाश यात्रा व्यय	400
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्रय	250

47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	8840
49–चिकित्सा व्यय	2560
51–वर्दी व्यय	800
योग: 3055–03	655836
190–सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों की सहायता– 03–राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में संसद सदस्यों की निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिये निगम को प्रतिकर का भुगतान– 42–अन्य व्यय	175
योग: 190	175
3055–सड़क परिवहन 800–अन्य व्यय– 03–अवशेषों का भुगतान– 01–वेतन	99677
योग: 3055	**755688**

इस प्रकार लेखाशीर्षक–2041+3055के अन्तर्गत अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण को रू0–4779000 (रू0 सैंतालीस लाख उन्यासी हजार मात्र) एवं परिवहन आयुक्त संगठन को धनराशि रू0–**755688000** (रू0 पचहत्तर करोड़ छप्पन लाख अठ्ठासी हजार मात्र) एवं अर्थात कुल धनराशि रू0 760467000 (रू0 छिहत्तर करोड़ चार लाख सरसठ हजार मात्र) की आवश्यकता वित्तीय वर्ष 2010–11 में होगी।

2– आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– के कार्यालय ज्ञाप संख्या–वी–1–951/दस–2009–231/10 दिनांक 26–3–09 के में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा (सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न है।) साथ ही क्रय संबंधी मामलों में उद्योग विभाग के शासनादेश संख्या–2573एस0पी0/18–07–76(एस0पी0)/86 दिनांक 8–01–1992, पत्र संख्या–2177 /18–07–94–15 (एस0पी0)–92 दिनांक 17–10–94, पत्र संख्या–2275/18–05–98–15 (एस0पी0)–92 टी0सी0 दिनांक 7–12–98 पत्र संख्या–708/18–05–98–15 (एस0पी0)–92 दिनांक 8–1–94, पत्र संख्या–2917/18–05–2000–49 (एस0पी0)–2000 दिनांक 20–12–2000 तथा इसके अतिरिक्त समय–समय पर उनके द्वारा जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय एवं जहां टेण्डर आदि की आवश्यकता हो वहां उसका नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाए एवं टुकड़ों में धनराशि के व्यय किये जाने से बचा जाय।

3– दिनांक–01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू किये जाने के फलस्वरूप दिनांक–30–11–08 तक के अवशेषों के 40 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु विभिन्न अनुदानों के संगत लेखा शीर्षो में व्यवस्था की गयी है। उक्त उवशेषों के 40 प्रतिशत का भुगतान उक्त लेखा शीर्षक से किया जायेगा। वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–वे0आ0–2–1318/दस–59(एम)/08 दिनांक 8–12–08 के प्रस्तर–12–04(2) में दी गयी व्यवस्थानुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय अवशेष 40 प्रतिशत का आहरण वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अक्टूबर, 2010 के पूर्व नही किया जायेगा।

4– इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– व्यय विवरण प्रत्येक मास की 10 तारीख तक वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–9 एवं परिवहन अनुभाग–3 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6– यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुलदीप एन0 अवस्थी)
उप सचिव।